पत्रांक–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं०....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०

श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सिवान/मुंगेर/लखीसराय/किशनगंज/सहरसा।

पटना, दिनांक–

विषयः– विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय्

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रू० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से षष्ठम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेगें। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

सम्प्रति कतिपय कारणों से CLTS पोर्टल के क्रियाशील नहीं रहने के कारण विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों का विवरण पोर्टल में अपलोड नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने तक सभी पात्र विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों को जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर रू० 25,000/– के Annuity Scheme का लाभ इस शर्त्त के साथ दिया जाय कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने पर बाल/किशोर श्रमिकों से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ अविलम्ब कर ली जायेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन/ एफ०आई०आर०
1	सिवान	---	Gulu Sah	23.05.2026	169/26
2	मुंगेर	---	अभिनाश कुमार	23.08.2025	150/25
3	लखीसराय	---	Ashish Kumar	02.05.2026	76/26
4		---	Vishal Kumar	26.05.2026	206/26
5	किशनगंज	BIH_KISHA_2025_111656	Md. Wasim	25.09.2025	1498/2025
6		---	Md. Afsar Alam	08.04.2026	21/2026
7	सहरसा	BIH_SAHAR_2025_110970	Bablu Kumar	28.01.2025	22/25
8		BIH_BEGUS_2025_110872	Jitu Kumar	30.01.2025	14/2025
9		BIH_SAHAR_2025_111262	Md. Jasim	22.02.2025	231/25
10		BIH_SAHAR_2025_110972	Saurabh Kumar	24.02.2025	45/25
11		BIH_SAHAR_2025_111092	Md. Arman	24.03.2025	363/25
12		BIH_SAHAR_2025_111306	Shivnandan Kumar	28.04.2025	66/25
13		BIH_SAHAR_2025_111261	Md. Juber	19.05.2025	77/25
14		---	Ganesh Kumar	08.07.2025	247/25
15		---	Gaurabh Kumar	18.09.2025	1082/25

16		---	Kirshna Kumar	05.01.2026	02/2026
17		---	Md. Arman	15.01.2026	18/26
18		---	Sagar Kumar	24.04.2026	438/26

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रूपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण
सिवान	जिला पदाधिकारी, सिवान	363628 76150	SBIN0000187	01	01@25000	25,000/-	पत्रांक–864, दिनांक–06.07.2026
मुंगेर	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	366107 53057	SBIN0000136	01	01@25000	25,000/-	पत्रांक–1242, दिनांक–02.07.2026
लखीसराय	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	363728 97690	SBIN0002968	02	02@25000	50,000/-	पत्रांक–543, दिनांक–08.07.2026
किशनगंज	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	363420 18582	SBIN0000117	02	02@25000	50,000/-	पत्रांक–627, दिनांक–29.05.2026
सहरसा	जिला पदाधिकारी, सहरसा	364459 96553	SBIN0000172	12	12@25000	3,00,000/-	पत्रांक–953, दिनांक–06.07.2026
कुल				18	18@25000	4,50,000/–(चार लाख पचास हजार)	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अधियाचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र बाल श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन
ह०/–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं०........ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्रम अधीक्षक/श्रम अधीक्षक (अधिनियम), सिवान/मुंगेर/लखीसराय/किशनगंज/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिलाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं०...4351 पटना, दिनांक– 24/7/26

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

श्रमायुक्त, बिहार